फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :— अब्दुल मजीद | विपक्षी :— रामा

किस्म मुकदमा — 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 195/17

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 05.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अब तक अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रकरण में विपक्षी सं. 15/1 से 15/5 द्वारा पत्थरगढी किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 451 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि के चारों दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/— पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Scanned by CamScanner